# न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारीः— श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

**राजस्व अपील सं. :— 68 / 2024**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 1. पुष्पकंवर पत्नि श्री चैनसिंह<br>2. रायपालसिंह पुत्र रूपसिंह, जाति राजपूत, निवासीयान ग्राम खीरवा, तहसील बाप, जिला फलौदी | | 1. मगाराम पुत्र छोगाराम फौत के कायम मुकाम<br>1/1. जसू पत्नि मगाराम<br>1/2. सत्यनारायण पुत्र मगाराम<br>1/3 पप्पूराम पुत्र मगाराम<br>1/4 गैनेस पुत्र मगाराम<br>1/5 लीलाधर पुत्र मगाराम<br>1/6 लक्ष्मी पुत्री मगाराम<br>1/7 भूरी पुत्री मगाराम<br>1/8 पूजा पुत्र मगाराम<br>1/9 नकतमल पुत्र मगाराम फौत के कायम मुकाम<br>1/9/1 पायल पुत्र नकतमल<br>1/9/2 सपना पुत्र नकतमल<br>सभी माली, निवासी बाप, तहसील बाप, जिला फलौदी<br>2. देवेन्द्र भाटी पुत्र चैनसिंह भाटी, जाति राजपूत, तहसील बाप, जिला फलौदी<br>3. मगसिंह पुत्र लूणसिंह, जाति राजपूत, निवासी मालमसिंह की सिड्ड, तहसील बाप, जिला फलौदी<br>4. मूणलाल पुत्र सेठूजी, जाति माली, निवासी बाप, तहसील बाप, जिला फलौदी<br>5. गणेश पालीवाल पुत्र बाबूलाल, जाति पालीवाल, निवासी बाप, तहसील बाप, जिला फलौदी<br>6. भागचंद पुत्र मोहनलाल लूकंड जाति सैन, निवासी फलौदी, तहसील फलौदी, जिला फलौदी<br>7. नारायणराम पुत्र दानाराम, जाति नाई, निवासी बीकमपुर, तहसील कोलायत जिला बीकानेर, हाल निवासी हनुमान मंदिर के पीछे, प्लॉट नम्बर 144, शिवकृपा नगर, |

जिला कलक्टर
फलौदी

| | | |
|---|---|---|
| | | मानवेड़ा बैसारोड़, म्धलगीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र<br>8. कालूराम पुत्र किसनाराम, जाति नाई, निवासी पलीना, तहसील आऊ, जिला फलौदी<br>9. दिलीप कुमार पुत्र दमजी, जाति माली, निवासी बाप, तहसील बाप, जिला फलौदी<br>10. तहसीलदार बाप। |

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार खातेदारी जोत का विभाजन का एग्रिमेंट (बंटवाड़ा) आदेश क्रमांक भू–अभिलेख/ 2020 /10558 दिनांक 06.01.2020 जो तहसीलदार (भू–अभिलेख) बाप द्वारा पारित किया गया।**

**उपस्थित वकील –:**

अपीलाण्ट् की ओर से– अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी उपस्थित।
रेस्पोडेण्ट्स सं. 1/1 ता 1/9/2,2,3,8,9 की ओर सेः– बावजूद सूचना गैर हाजिर।
रेस्पोडेण्टस संख्या 04 की ओर सेः– अधिवक्ता सूर्यप्रकाश पंवार।
रेस्पोडेण्टस संख्या 05 ता 07 की ओर से :– अधिवक्ता जगदीश चन्द्र विश्नोई उपस्थित।
रेस्पोडेण्टस संख्या 09 की ओर सेः– अधिवक्ता श्री जयप्रकाश ।
रेस्पोडेण्टस संख्या 10 की ओर से :– तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

**निर्णय** दिनांकः– 28/10/2025

1. अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत धारा 225 में तहसीलदार बाप आदेश क्रमांक भू–अभिलेख/2020/10558 दिनांक 06.01.2020 के जरिये अपीलांट के अनुपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर आलौच्य आदेश कर अपीलांट द्वारा मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि ग्राम बाप, पटवार हल्का बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलौदी मे खेत खसरा संख्या 1879 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा की कृषि भूमि मूल खातेदार बाबूलाल, पेमाराम व मगाराम पिसरान छोगाराम के कब्जा काश्त व खातेदारी में आई हुई थी। उक्त भूमि में से मूल खातेदारों ने पहला बैचान मोहनलाल पुत्र गोपीकिशन कीा जरिये विक्रय विलेख के हिस्सा विशेष की भूमि दिश दर्शाते हुए 2 बीघा भूमि बेचान की थी। जिसके आधार पर खरीददार मोहनलाल के नाम से नामान्तरकरण भरा जाकर अलग खाता कायम किया जाकर खसरा नम्बर 1879/1 रकबा 2 बीघा भूमि के रूप में अलग से दर्ज हुई तथा जिसकी अलग से तरमीम भी हो गई। जो नक्शा ट्रेस में 1879/1 के रूप में दर्ज हुई तथा उसके बाद दूसरा बैचाननामा इन्ही मूल

जिला कलक्टर
फलौदी

खातेदारों ने अपीलांट को जरिये विक्रय विलेख के दिनांक 25.06.2001 को रकबा 1 बीघा का बैचार हिस्सा विशेष की भूमि का चारों दिशा दर्शाते हुए उनके बीच की भूमि का बैचान किया था। जिसकें आधार पर अलग से खाता कायम किया जाकर अपीलांट का अलग से खाता खसरा संख्या 1879/2 रकबा 1 बीघा के रूप में दर्ज हुआ तथा मौके पर बैचान में दर्शायी दिशा के बीच वाली भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया तथा जमाबंदी में खाता अलग कायम किया गया, उसी अनुसार नक्शा ट्रेश में भी खसरा नम्बर 1879/2 रकबा 1 बीघा के रूप में मौके पर काबिज व रजिस्ट्री में दर्शायी दिशा के अनुरूप तरमीम नहीं हो पाई तथा इसी प्रकार उसी दिन तीरसरा बैचाननामा रेस्पोडेण्टस संख्या 03 मगसिंह के पक्ष में निष्पादित हुआ। उस बैचान नामा में भी मगसिंह को दिशा दर्शाते हुए रकबा आधा बीघा भूमि का बैचान किया। जिसके आधार पर अलग से खाता कायम किया जाकर खसरा नम्बर 1879/3 रकबा 0.10 बीघा भूमि के रूप में दर्ज हुआ तथा इसी अनुसार मौके पर तरमीम कर नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1879/3 दर्ज किया जाना चाहिए था, जो जमाबंदी में अलग से खाता कायम कर दिया, लेकिन नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम नहीं की गई। इस दरम्याद खसरा नम्बर 1879/1 के खातेदार ने भूमि को आगे बैचान करने पर उसके खातेदारों ने आपस में बंटवाड़ा कर दिया। जिसमें एक खातेदार के खसरा नम्बर 1879/1 दर्ज रह गया तथा एक खातेदार के खसरा नम्बर 1879/4 दर्ज कर दिया। जो खसरा नम्बर 1879/1 के ही दो भाग हुए थे। यानि 1879/1 व 1879/4 की तरमीम को गई थी तथा खसरा 1879/2 व 1879/3 की मौके पर काबिज अनुसार खसरा रजिस्टरी में दर्शायी दिशा अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम नहीं होने से मूल खसरा नंबर 1879 के रूप में ही नक्शा ट्रैस चला आ रहा था। इस दरम्यान मूल खसरा 1879 के कुल पांच खातेदारों 1,4,6,8 व 9 ने आपस में बंटवाड़ा कर लिया। जिसे अपीलांट व रेस्पोडेण्टस संख्या 3 मगसिंह वर्तमान रेस्पोडेण्टस संख्या 2 कभ भूमि का नक्शा ट्रेस में कोई उल्लेख नहीं कर जहां अपीलाण्ट की भूमि आई हुई थी। उस जगह रेस्पोडेण्टस संख्या 8 की वर्तमान खातेदार रेस्पोडेण्टस संख्या 7 कभ भूमि दर्शाते हुए अपीलांट ने बाले– बाले खसरा नम्बर 1879 को बंटवाड़ा करवा दिया। ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा हेतु तहसीलदार बाप को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उन्होने नक्शा ट्रेश में खसरा नंबर 1879/1 व 1879/4 की तरमीम को छोड़ दिया। लेकिन खसरा संख्या 1879/2 व 1879/3 की अलग से तरमीम नहीं होने से 1879/2 व 1879/3 व 1879 का एक ही नक्शा कायम था। जिसकों बंटवाडा के साथ पेश कर पांचो खातेदारों के साथ पेश कर रेस्पोडेण्टस संख्या 1,4 व 5,7 के खातेदारी भूमि का आपस में बंटवाड़ा कर लिया। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेण्टससंख्या 3 मगसिंह वर्तमान रेस्पोडेण्टससंख्या 2 की भूमि का नक्शा ट्रेस में कोई उल्लेख नही कर जहां अपीलांट के बाले बाले खसरा नम्बर 1879 का बंटवाडा कर लिया। उक्त आलौच्य बंटवाड़ा की अपीलांट को पहली बार जानकारी होने पर आलौच्य आदेश के विरूद्व मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी के द्वारा अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता सूर्यप्रकाश पंवार एवं रेस्पोडेण्टस संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश

जिला कलक्टर

पुरोहित एवं अन्य एवं रेस्पोडेण्टस संख्या 05 ता 07 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई ने वकालातनामा पेश किया। शेष रेस्पोडेण्टस नोटिस तामील होने के बावजूद गैर हाजिर रहे। अवसर दिए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बाप से मूल बंटवारानामा प्राप्त हुआ। जो शामिल पत्रावली किया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि आलौच्य बंटवाड़ा में जिन मूल खातेदार रेस्पोडेण्टस संख्या 1,4,6,8,9 ने जिस जगह का नजरी नक्शा पेश कर बंटवाड़ा निष्पादित करवाया, उस जगह पर पहले से ही मूल खातेदारों ने हिस्सा विशेष की भूमि दर्शाते हुए चार दिशाओं के बीच जिसमें रजिस्ट्री में उत्तर में राजकीय मार्ग, पूर्व में मगसिंह की जमीन, पश्चिम में इसी खसरे की शेष जमीन, दक्षिण में इसी खसरे की शेष जमीन दर्शाते हुए सन् 2001 में यानि बंटवाड़ा से करीबन 19 साल पहले मौके पर कब्जा सुपुर्द कर अपीलांट को जमीन दे दी थी, जिसका अलग से खाता कायम किया जाकर अलग से बट्टा नम्बर लग गया था। चूकि बट्टा अनुसार तरमीम नहीं होने से उक्त खसरा की जमीन मूल खसरा नम्बर के साथ ही नक्शा ट्रेस में सामिलात दर्ज चली आ रही थी। इस स्थिति में रेस्पोडेण्टस संख्या 1,4,6,8 व 9 को या तो खसरा नम्बर 1879/2 व 1879/3 की अलग से तरमीम करवाकर बाद में बंटवाडा करवाना चाहिए था, या फिर वक्त बंटवाड़ा अपीलांट को ीी पक्षकार बनाकर जहां अपीलांट की जमीन आई हुई थी, उस जगह अपीलांट की भूमि रखते हुए बंटवाड़ा निष्पादित करवाना चाहिए था, चूंकि जिस नक्शा ट्रेस को दर्शाते हुए मूल खसरा 1879 के खातेदारों ने जो बंटवाड़ा करवाया। उस नक्शा ट्रेश के शामिल खातेदार अपीलांट को बगैर पक्षकार बनाए आलौच्य बंटवाड़ा निष्पादित करवाया है या फिर रजिस्ट्री के आधार पर पहले अपीलांट व रेस्पोडेण्टस संख्या 03 की तरमीम कर फिर शेष रही भूमि में खसरा नंबर 1879 के खातेदारों को बंटवाड़ा करवाना चाहिए था। जो नहीं करवाने से उक्त आलौच्य आदेश कानूनन काबिले निरस्त है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव एवं उसके बाद भी न तो हल्का पटवारी ने मौके पर आकर कोई जांच की । न ही किसी के कब्जा काश्त बाबत कोई जांच की। जिसके अभाव में सभी सहखातेदारों के बीच कब्जा काश्त के विपरित किया गया बंटवाड़ा खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 5 ता 7 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमि जरिये 25.06.2001 को खरीद की गई है। तथा बेचान से अपीलार्थी ने जमीन रोड़ से पीछे ली थी। अब जमीन के भाव आसमान छूने लगे तब पहले अपीलांट ने धारा 131,136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी बाप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वहां प्रार्थना पत्र खारिज हुआ तो बंटवाड़ा की अपील प्रस्तुत कर दी। प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्टस संख्या 02 ने उपखण्ड अधिकारी के यहा प्रस्तुत किया जो दिनांक 28.11.2024 को खारिज कर दिया तथा अपीलांट की माता एवं भाई द्वारा बंटवाडा की अपील प्रस्तुत की जो सरासर झूठे आधारों पर पर प्रस्तुत की इस आधार पर अपील खारिज योग्य है। मूल खातेदार एंव अपीलांट के द्वारा खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1321 भरा एवं उसमें खरीदारान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1362 में शेष रकबा खसरा संख्या 1879 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि मगाराम पुत्र छोगाराम के हिस्से में रख कर आपसी सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001/कैम्प बाप के आदेश क्रमांक शिविर/2001/125 दिनांक 11.02.02 की पालना में आपसी सहमति से बंटवाड़ा का

जिला कलक्टर
फलौदी

नामान्तकरण संख्या 1362 स्वीकृत हुआ। जिस बंटवाडे की अपील अपीलांट ने की है, वह उसके बाद के खरीददार के मध्य हुआ बंटवाडा है जो तहसीलदार बाप द्वारा आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/0558 दिनांक 06.01.2020 को हुआ है। जिसका अपीलार्थी से कोई लेना–देना नहीं है। अपीलाधीन बंटवाडा में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्टस संख्या 5 व 7 सह खातेदार नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 1321 व 1362 का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। उक्त बंटवाड़ा 2020 में किया गया जो 2001 के बाद खरीददार एवं मूल खातेदारान की सहखातेदारी भूमि बची उसका बंटवाडा 2020 में किया जिसका नामान्तरकरण 20/02/2020 को तहसीलदार बाप द्वारा स्वीकृत किया गया जो नामान्तरकरण संख्या 3885 भरा गया । जिसको अपीलांट चैलेच नही कर सकता। प्रथमतया अपीलांट एवं रेस्पोडेण्टस संख्या 02 द्वारा भूमि 2001 में खरीदी थी उसके रकबा उसी समय अलग कर बट्टा नम्बर डालकर नामान्तकरण संख्या 1321 ग्राम बाप भर दिया गया। उसके बाद बंटवाड़ा मूल खातेदारों की शेष बची भूमि का हुआ उसक समय अपीलांट सहखातेदार ही नही थे। उक्त भूमि से अपीलांट का खाता अलग हो गया। अपीलाधीन बंटवाड़ा गलत रूप से न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। इसलिए अपील अपीलांट स्व्यय खारिज की जावे।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट प्रार्थी अभिभाषक का अभिकथन है कि अपीलांट ने रेस्पोडेण्टस के विरूद्व उक्त अनवान की अपील पेश कर रखी है। चूँकि अपीलांट एवं रेस्पोडेण्टस ग्राम ग्राम बाप, पटवार हल्का बाप, तहसील बाप जिला फलौदी के खसरा संख्या 1879 व इसके बट्टों के खातेदार है, जिसका रेस्पोडेण्टस ने उक्त भूमि का बंटवाड़ा अपीलांट को बिना सूचना दिये ,जहां पर अपीलांट का कब्जा काश्त था, उस जगह रेस्पोउेण्टस संख्या 7 की भूमि दर्शाते हुए उक्त आलौच्य बंटवाड़ा नि पादित करवा दिया, जबकि मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त खरीद की तारीख से बैचान में दर्शायी दिशा के मध्य गत 19 सालों से चला आ रहा है। लेकि रेस्पोडेण्टस संख्या 1,4,6,8 व 9 न मिलावट कर अपीलांट को बिना पक्षकार बनाए बिना समुचित सुनवाई का मौका दिये, उक्त आलौच्य बंटवाडे का आदेश पारित करवा दिया, जो हाल में रेस्पोडेण्ट संख्या 7 द्वारा मौके पर आकर अपीलांट को कब्जा छोड़ने की धमकी देने पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय में जाकर बंटवाड़ा से सम्बन्धित दस्तावेज देखे तब अपीलांट को दिनांक 02.12.2024 से बंटवाडा की नकल लेने परउक्त आलौच्य बंटवाडे की जानकारी हुई। इससे पहले अपीलांट को किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं थी। अभी जानकारी होते ही यह अपील अन्दर मियाद पेश कर दी है। अपीलांट ने जान बूझकर कोई देरी नहीं की है, अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद सुमान मानते हुए गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में बताया कि हस्तगत अपील से पूर्व मगसिंह व देवेन्द्रसिंह ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप प्रकरण संख्या 361/22 निर्णय दिनांक 20.11.2025 का अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व की

जिला कलक्टर
फलौदी

तरमीन दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकों न्यायालय सहायक कलक्टर बाप ने खारिज कर दिया । जिसके बाद पुनः बंटवाड़ा निरस्त करवाने हेतु न्यायालय हाजा में पुनः अपील प्रस्तुत कर दी जो कानूनन गलत एवं विधि विरूद्व है। प्रथमतया पक्षकारों को यह जानकारी बंटवाड़ा के समय से थी इसलिए अपीलांट बंटवाड़ा निरस्त हेतु म्याद निकलने के बाद अपील पेश ही नही कर सकते अपील म्याद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। दूसरा पुष्प कंवर एवं मगसिंह तथा रायपाल सिंह द्वारा खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1321 ग्राम बाप स्वीकृत हुआ तब से ही जानकारी में उसके बाद वादग्रस्त भूमि को जैसे–तैसे ही रोड़ पर तरमीन शिफ्ट करने कें लिए अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया वह खारिज कर दिया गया। अपीलांट को उक्त बंटवाडा की जानकारी 2022 में पूर्ण रूप से थी। इसलिए अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र एवं रेस्पोडेण्टस अधिवक्ता संख्या 5 ता 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायोचित एवं स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूल खसरा संख्या 1879 में से तीन बेचाननामे निष्पादित हुए है। जिसमें हिस्सा विशेष की भूमि बेचान करने पर उन बेचाननामों के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण से खरीददारों की भूमि अलग होकर उनके अलग से बट्टे नम्बर लग गयें तथा उनकी जमाबन्दी भी अलग आने लग गई। चूकि जमाबन्दी के मुताबिक अलग हुए खाते की तरमीम होकर अलग से नक्शा ट्रेस में जमाबंदी के मुताबिक बट्टा नम्बर लगने चाहिए थे। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अलग हुए खातों की जमाबंदी अलग हो गई। नक्शा ट्रेस में एक खरीददार के अलग से जमाबंदी के मुताबिक नक्शा ट्रेस में तरमीम होकर अलग से बट्टा नंबर लग गयें। लेकिन अपीलांट के खसरा नम्बर 1879/2 रकबा 1 बीघा वाली भूमि का अलग से बेचान में दर्शायी हिस्सा विशेष वाली जगह पर तरमीम नहीं हुई है। इस कारण नक्शा ट्रेस में अपीलांट एवं मूल खातेदारों की भूमि शामिल ही दर्ज चली आ रही थी। इस स्थिति में उक्त आलौच्य बंटवाड़ा करने से पूर्व नक्शा ट्रेस में सम्मलित सभी खातेदारों को पक्षकार बनाकर सभी की सहमति से बंटवाड़ा आदेश पारित करना चाहिए था। अन्यथा पूर्व से अलग हुए बट्टा नंबर की भूमि की पहले रजिस्टरी में दर्शायी दिशा अनुसार तरमीम कर शेष खातेदारो के बीच बंटवाडा करना चाहिए था। लेकिन हस्तगत प्रकरण मे सभी खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हे समुचित सुनवाई का मौका दिए बगैर किया गया बंटवाड़ा कानूनन विधि सम्मत नहीं है। इस कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

## आदेश

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाप के बंटवाड़ा आदेश क्रमांक भू–अभिलेख/2020/10558 दिनांक 06.01.2020 तहसीलदार (भू– अभिलेख) को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाप को इस निर्देश के साथ पत्रावली प्रतिप्रेषित की जाती है कि मूल खसरा नंबर 1879 एवं उसके सभी बट्टा नम्बर की भूमि को एकीकरण कर उन

जिला कलक्टर
फलौदी

खातेदारों के बीच उनके हिस्से अनुसार उन सभी खातेदारों को समुचित सुनवाई का मौका देकर उनके कब्जा काश्त एवं उनके विक्रय विलेख को ध्यान रखते हुए नये सिरे से बंटवाडा आदेश पारित करें।

श्वेता चौहान
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर फलौदी